(वाद सं0– 3363/4/4/2020)

05.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादिनी, मुन्नी कुमारी, (विक्लांग) को जुलाई 2015 से सितम्बर 2019 तक विक्लांग पेन्शन का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय व साथ अनुलग्नित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी को दिनांक–11.05.2022 को बकाया पेन्शन के रूप में 20,400/– (बीस हजार चार सौ रूपये) की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा सुसंगत कागजात भी अनुलग्नित कर समर्पित किया गया है।

अब जबकि परिवादिनी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन (पृष्ठ 20–17/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>